सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र (भाग -2)

आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु अध्ययनरत बालकों के सत्यापन हेतु दिशा निर्देश (सत्र 2017-18)

1. सत्यापन हेतु सामान्य निर्देश :-

1.1 विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापनप्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिशचित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सभी बालक-बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है।

1.2 भौतिक सत्यापनदल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैश बुक,रसीद बुक,बेंक पास बुक, एस.आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य,ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण-पत्र तैयार रखें। आरटीई अधिनियम की धारा 12(3)के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है।

1.3 सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

1.4 भौतिक सत्यापनप्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति (Location), कक्षा स्तर (किस कक्षा तक), मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जॉच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।

1.5 विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जॉच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत/षहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्ट होने के बाद बीईईओ/डीईओ मा.शि. के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाये तथा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित नवीन बीईईओ कार्यालय को भिजवाई जाये।

1.6 विद्यालय की एन्ट्री कक्षा (विद्यालय में कक्षा-1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं होने पर एन्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एन्ट्री कक्षा 5+ होगी) की जॉच की जाये।

1.7 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।

1.8 इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।

1.9 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जायेगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सलंग्न की जायेगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए।

1.10 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक षिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।

1.11 सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

2 आधार कार्ड सत्यापन सम्बन्धी निर्देश :-

2.1 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं (वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत) के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन रसीद की फोटोकॉपी लिया जाना अनिवार्य है।

2.2 जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है, उन बालक-बालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाये परन्तु जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है उन्हें अपात्र नहीं किया जाये। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में ऐसे बालक-बालिकाओं के कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाये।

2.3 यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है तथा इनके शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है वह विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक नहीं करें।

2.4 विद्यालय ऐसे बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि फोटोकॉपी सत्यापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्राप्त होती है तो विद्यालय के संस्थाप्रधान सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय प्रति एवं आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी को सम्बन्धित कार्यालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु बीईईओ एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मां.शि.) में प्रस्तुत करेंगे।

2.5 सम्बन्धित कार्यालय में आरटीई प्रभारी द्वारा आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी का मिलान सत्यापन रिपोर्ट में बालक-बालिका के विवरण से किया जायेगा तथा विवरण सत्यापित होने पर सभी फोटोकॉपी पर आरटीई प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इन बालक-बालिकाओं को सत्यापन रिपोर्ट की दोनों प्रतिओं (विद्यालय एवं कार्यालय प्रति) में सत्यापिक कर फीस के पुनर्भरण योग्य किया जायेगा।

2.6 सत्यापन रिपोर्ट में आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन के सम्बन्ध में सभी बालक-बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन कर लॉक किया जायेगा।

2.7 सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित (Verify) करने से पूर्व यह सुनिशचित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाये गये बालक-बालिकाओं की आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या प्रविष्ट कर दी गई है।

2.8 यदि किसी बालक/बालिका के विद्यालय में उपलब्ध विवरण यथा बालक/बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक या पता, आधार कार्ड में दी गई सूचनाओं की तुलना में आंशिक रूप से भिन्न है तो इन बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त नहीं किया जाए।

2.9 इन बालक-बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियों को आधार कार्ड के आधार पर बाद में सही कर दिया जायेगा यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक/बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

3. नि:शुल्क एवं स:शुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की जॉच सम्बन्धी निर्देश :-

3.1 नि:शुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जॉच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित किया जाऐ। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने है।

3.2 सत्यापन दल 25 प्रतिशत नि:शुल्क एवं शेष 75 प्रतिशत सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरतबालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि नि:शुल्क प्रवेशित बालक ड्राप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिशचित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं।

3.3 शैक्षिक सत्र 2017-18 में एन्ट्री कक्षा में नि:शुल्क व सःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं की गहनता से जॉच करें। यदि सत्यापन के समय नि:शुल्क 25 प्रतिशत सीट्स पर दिये गये प्रवेष की तुलना में सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर कम संख्या में बालक-बालिकाऐं अध्ययनरत पाये जाते है तो सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25 प्रतिशत नि:शुल्क सीट्स पर बालक-बालिकाओं को सत्यापित किया जाये। नि:शुल्क सीट्स पर 25 प्रतिशत से अधिक संख्या में प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से वरीयता सूची में नीचे से बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त किया जायेगा।

3.4 यह भी सुनिशचित कर लें कि प्रवेशित बालक-बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।

4. विद्यालय की फीस की जॉच सम्बन्धी निर्देश :-

4.1 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे।

4.2 फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक,कैश बुक, बैंक पासबुक,फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात की जाकर फीस की पुष्टि कर ली जावे।

4.3 फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।

4.4 सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंषा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5. सत्यापन दल द्वारा नवप्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जॉच:- यह जॉच निम्नांकित आधारों पर की जायेगी।

5.1 बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित होना चाहिए।

5.1.1 "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" में निम्नांकित वर्गों को शामिल किया गया है:-

1. ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये या उससे कम है।
2. अनुसूचित जाति के बालक।
3. अनुसूचित जन जाति के बालक।
4. अनाथ बालक।
5. एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक।
6. युद्ध विधवा के बालक
7. निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।
8. पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.0 लाख रूपये या उससे कम है।
9. ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी. एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।

5.1.2 "दुर्बल वर्ग"अथवा"असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

5.1.3 शैक्षिक सत्र 2015-16 एवं इससे पूर्व के सत्रों में सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के बालक-बालिकाओं के प्रवेश हेतु माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रूपये तक थी अतः इन सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं से वर्तमान सत्र (2017-18) में 2.5 लाख तक की वार्षिक आय के प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायें। शैक्षिक सत्र 2016-17 में आय के आधार पर किसी भी बालक-बालिका का प्रवेश नहीं हुआ है। शैक्षिक सत्र 2017-18 से वार्षिक आय की सीमा 1.00 लाख रूपये तक कर दी गई है। अतः वर्तमान सत्र में आय के आधार पर नवप्रवेशित बालकों के आय प्रमाण-पत्र 1.00 लाख रूपये वार्षिक आय तक के ही स्वीकार किए जाएें।

5.1.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःषक्तजन बालक, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक एवं बीपीएल बालक के प्रवेश आय के आधार पर नहीं होते हैं। अतः इनसे आय प्रमाण-पत्र नहीं लिया जायें।

5.2 प्रवेश हेतुकैचमेन्ट एरिया:-

5.2.1 आरटीई राज्य नियमों के अनुसार नि:शुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से सम्बन्धित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गॉव में स्थित है, वहॉ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। **किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिकाऐं प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।**

5.2.2 यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम/वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र/शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्व के सत्रों में प्रवेषित बालकों की नि:शुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनकी नि:शुल्क शिक्षा जारी रहेगी।

5.2.3 नि:शुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्रः-बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल/पानी का बिल भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवष्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा।

5.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता:-

एण्ट्री क्लास में प्रवेष हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया गया है।

एण्ट्री क्लास में प्रवेष हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया गया है।

5.3.1 प्रथम विकल्प:- आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार- अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहॉ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे है, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगी:-

क्र.सं.	विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा-1 से पहले)	एंट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	तीन वर्षीय	Pre Primary 3+(PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2	दो वर्षीय	Pre Primary 4+(PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3	एक वर्षीय	Pre Primary 5+(PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

5.3.2 द्वितीय विकल्प:- विद्यालय जिस बोर्ड से संबद्ध है, उस बोर्ड द्वारा एण्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु यदि कोई आयु सीमा निर्धारित की है अथवा विद्यालय ने अपने स्तर पर 75 प्रतिषत गैर आरटीई सीटों पर प्रवेश हेतु कोई पारदर्शी आयु नीति (।हम च्वसपबल) बना रखी है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया है तो 25 प्रतिशत नि:शुल्क सीटो पर प्रवेष हेतु भी यह आयु नीति मान्य होगी, लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों को एण्ट्री कक्षा में प्रवेश नही दे सकेगा तथा किसी भी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। विद्यालय यदि आरटीई पोर्टल पर आयु पॉलिसी के द्वितीय विकल्प का चयन करता है तो उसे अपनी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी |

नोट - उपरोक्त व्यवस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये हैं वे विद्यालयों में भिन्न-भिन्न हो सकते है लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी। विद्यालय में प्रवेष हेतु बालक-बालिकाओं की न्यूनतम व अधिकतम आयु 31 मार्च, 2017 को पूर्ण होनी चाहिए।

5.3.3 आयु के सबूत के लिये दस्तावेज:- आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:-

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) ऑगनबाडी अभिलेख और

(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

(घ) बालक का आधार कार्ड।

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज नि:शुल्क प्रवेश हेतु मान्य होगा।

5.3.4 यदि किसी बालक/अभिभावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाऐं गलत पायी जाती हैं, अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाऐं संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने के कारण बालक अपात्र होता है तो इसके लिए बालक/अभिभावक स्वयं उत्तरदायी होगा।

सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र (भाग-3)
आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु अध्ययनरत बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (सत्र 2017-18)

1. निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान :-

1.1 निरीक्षणकर्ता अध्यक्ष

1.1.1 नाम | 1.1.2 पद

1.1.3 पदस्थापन स्थान | 1.1.4 मोबाइल नं

1.2 निरीक्षणकर्ता सदस्य

1.2.1 नाम | 1.2.2. पद

1.2.3 पदस्थापन स्थान | 1.2.4 मोबाइल नं

2. निरीक्षण की दिनांक :- ..../........../........../

3. विद्यालय से सम्बन्धित विवरण :-

3.1 विद्यालय का नाम	NAVNIKETAN UPS SAHAPINI (08020608407)	3.2 डाइस कोड	08020608407
3.3 विद्यालय का पूर्ण पता	WARD NO.-3 VPO-SHAHPINI TEH-SANGARIA DIST-HANUMANG,		
3.4 जिला	HANUMANGARH	3.5 ब्लॉक	SANGARIA
3.6 ग्राम पंचायत/ यू एल बी	SAHAPINI	3.7 ग्राम / वार्ड	19 AMP SAHAPINI
3.8 विधानसभा क्षेत्र	Sangria (007)	3.9 पिन कोड	335063

4. मान्यता के आधार पर विद्यालय में शिक्षण का माध्यम :- **HINDI**

5. विद्यालय के दो माध्यम होने पर माध्यमवार विवरण

5.1 हिंदी माध्यम			
5.1.1 विद्यालय श्रेणी	Primary with Upper Primary(1-8)		
5.1.2 विद्यालय का प्रकार	• Boys • Girls • Co-Edu		
5.1.3 विद्यालय अंतिम मान्यता संख्या	184	5.1.4 विद्यालय अंतिम मान्यता दिनांक	15/04/2010
5.1.5 विद्यालय संबन्धित बोर्ड	Not Applicable	• RBSE • IB • None	• CBSE • ICSE • OTHER
5.1.6 मान्यता नंबर		5.1.7 बोर्ड से मान्यता प्राप्ति दिनांक	
5.1.8 विद्यालय का आरटीई मान्यता क्रमांक यदि है तो.............. **(केवल 01/04/2010 से पूर्व से संचालित विद्यालयों के लिए)**	1467	5.1.9 दिनांक	03/01/2013
5.1.10. पूर्ण आवासीय विद्यालय			हाँ /नहीं

5.1.11. विद्यालय का संपर्क विवरण :-

5.1.11.1 संस्था प्रधान का नाम	MANJU KUMARI	5.1.11.2 मोबाइल नम्बर	9983494154
5.1.11.3 विद्यालय का फ़ोन न./मोबाइल नम्बर	01499-288450,		
5.1.11.4 विद्यालय का ई-मेल पता	navniketanups@gmail.com		
5.1.12 विद्यालय का अन्य विवरण :-			
5.1.12.1 विद्यालय में संचालित कक्षाऐं	PP.5+	से	Eigth	तक
5.1.12.2 क्या विद्यालय को अल्पसंख्यक श्रेणी की मान्यता है?			हाँ /नहीं
5.1.12.3 क्या विद्यालय आरटीई की धारा 12 (1) (ग) के तहत 25 प्रतिशत नि:शुल्क सीट्स पर प्रवेश देता है ?			हाँ /नहीं

6. विद्यालय में निशुल क प्रवेश हेतु एन ट्री कक्षाएं एवं उनकी आयु पॉलिसी :-

(नोट : विद्यालय में कक्षा 1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा-3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा-4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एन्ट्री कक्षा-5+ होगी । निर्धारित आयु पॉलिसी में बदलाव सम्भव नहीं है ।)

प्रथम एंट्री कक्षा	PP.5+	माध्यम	Hindi	आयु पालिसी	4 वर्ष - 5 वर्ष 6 माह

7. सत यापन के दिन 25% नि:शुल्क एवं 75% सशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे कक्षावार बालकों की वास तविक उपस्थिति (यह विवरण विद्यालय में संचालित सभी कक्षाओं के लिए भरना है) :-

क्र. सं.	कक्षा	माध्यम	25% नि:शुल क शिक्षा प्राप त कर रहे बालकों की संख या		सत्यापन के दिन उपस्थिति		75% सशुल्क शिक्षा प्राप त कर रहें बालकों की संख या		सत्यापन के दिन उपस्थिति	
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	PP.3+		0	0			0	0		
2	PP.4+		0	0			0	0		
3	PP.5+	Hindi	3	1			8	6		
4	First	Hindi	2	0			4	2		
5	Second	Hindi	1	2			4	2		
6	Third	Hindi	1	1			3	4		
7	Fourth	Hindi	3	0			1	2		
8	Fifth	Hindi	0	2			4	0		
9	Sixth	Hindi	0	0			0	1		
10	Seventh	Hindi	0	0			3	0		
11	Eigth	Hindi	0	0			3	0		
12	Ninth		0	0			0	0		
13	Tenth		0	0			0	0		
14	Eleventh Arts		0	0			0	0		
15	Eleventh Science		0	0			0	0		
16	Eleventh Commerce		0	0			0	0		
17	Eleventh Vocational		0	0			0	0		
18	Eleventh Other stream		0	0			0	0		
19	Twelth Arts		0	0			0	0		

20	Twelth Science		0	0			0	0		
21	Twelth Commerce		0	0			0	0		
22	Twelth Vocational		0	0			0	0		
23	Twelth Other stream		0	0			0	0		

8. विद्यालय में निःशुल्क (25 प्रतिशत) सीटों पर अध्ययनरत बालकों का सत्यापन :-

8.1 नोट : बालकों कि पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य होने के कारण -

बालक "दुर्बल-वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" का है, कैचमेंट एरिया का निवासी है तथा विद्यालय की एंट्री कक्षा के लिए निर्धारित आयु का है तथा इनसे संबन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा एवं रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि तक की तिथियों में जारी किये गए हैं ।

8.2 बालकों की अपात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण :-

अयोग्यता कोड	बालकों के पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण	वर्तमान सत्र में प्रवेशित बालकों के लिए	पूर्वसत्रों में प्रवेशित तथा क्रमोन्नत बालकों के लिए
11.	बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" का नहीं है ।	लागू	लागू नहीं
12.	बालक के "दुर्बल वर्ग" / "असुविधाग्रस्त समूह" / निवास से सम्बंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं हैं ।	लागू	लागू नहीं
13.	बालक के "दुर्बल वर्ग" / "असुविधाग्रस्त समूह" / निवास से सम्बंधित दस्तावेज रिपोर्टिंग तिथि के बाद की तिथि में जारी किये गए हैं ।	लागू	लागू नहीं
14.	वर्तमान में बालक के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है । (केवल सामान्य, ओबीसी, एसबीसी के सत्र 2015-16 या पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों पर लागू ।)शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रवेशित बालक बालिकाओं के लिए वार्षिक आय की यह सीमा 2.5 लाख रुपये के स्थान पर 1.00 लाख रुपये वार्षिक है	लागू	लागू
15.	बालक केचमेंट एरिया से बाहर का निवासी है ।	लागू	लागू नहीं
16.	बालक ने 01.09.2017 से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया है ।	लागू नहीं	लागू
17.	बालक गतसत्र में अध्ययनरत रहा परन्तु वर्तमान सत्र में विद्यालय छोड़ दिया है।	लागू नहीं	लागू
18.	बालक की मृत्यु हो गयी है ।	लागू	लागू
19.	बालक का डाटा गलती से एन्टर हो गया ।	लागू	लागू
21.	बालक प्रवेश पश्चात अध्ययन के लिए नहीं आया ।	लागू	लागू
24.	वर्तमान सत्र के लिए अभिभावक ने आय प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया है ।	लागू	लागू
25.	अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है ।	लागू	लागू
27.	अन्य कारण ।	लागू	लागू
28.	बालक के आधार कार्ड /आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है	लागू	लागू
29.	75 प्रतिशत सीटों पर कम प्रवेश के कारण प्रवेश अमान्य	लागू	लागू नहीं
30.	भौतिक सत्यापन में बालक गलत पाया गया ।	लागू	लागू नहीं

8.3 निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की सूची :-

क्र.स.	प्रवेश सत्र	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	एस.आर #	जन्म दिनाँक	कक्षा	माध्यम	मोबाइल न.	आधार नं./आधार नामांकन नं.	योग्य/ अयोग्य	अयोग्यता कोड
1	2012-13	NISHA	PALA RAM	198/001	28/01/2008	Fifth	Hindi	9672325837			
2	2012-13	RENUKA	NIRMAL	200/003	11/11/2008	Fifth	Hindi	9785197100			
3	2013-14	BHARAT	RAJENDER KUMAR	202/005	14/11/2008	Fourth	Hindi	9799232369			
4	2013-14	ROHITASH	SEETA RAM	204/007	15/10/2008	Fourth	Hindi	9784711833			

5	2013-14	PARVEEN KUMAR	CHHINDA RAM	205/009	13/11/2007	Fourth	Hindi	9784711928			
6	2014-15	AARJU	VINOD KUMAR	247/011	07/07/2009	Third	Hindi	7727874169			
7	2014-15	ROHITASH	VINOD	248/012	23/06/2009	Third	Hindi	9660264393			
8	2015-16	RITU	NIRMAL KUMAR	263/017	23/09/2010	Second	Hindi	9784712497			
9	2015-16	ROHITASH	JAGDISH	264/18	03/10/2010	Second	Hindi	9799691710			
10	2015-16	HIMANI	RAKESH KUMAR	265/019	25/08/2010	Second	Hindi	9799289648			
11	2016-17	KAPIL DEV	MADAN LAL	279/021	22/01/2011	First	Hindi	8003637393			
12	2016-17	BHARAT BHUSHAN	SUBHASH CHANDER	280/022	20/09/2011	First	Hindi	9799830878			
13	2017-18	MAYANK KUMAR	RAKESH KUMAR	293/023	26/02/2013	PP.5+	Hindi	9828178271			
14	2017-18	HITESH KUMAR	RAKESH KUMAR	294/024	07/11/2012	PP.5+	Hindi	9887939823			
15	2017-18	SUNIL	BHALA RAM	295/025	07/05/2012	PP.5+	Hindi	9785518442			
16	2017-18	INDU BALA	MANDEEP KUMAR	296/026	17/02/2013	PP.5+	Hindi	9001418093			

8.4 सःशुल्क(75 प्रतिशत) सीटों पर अध्ययनरत बालकों की सूची :-

क्रं.स.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	एस.आर #	कक्षा	माध्यम	मोबाइल न.	अध्ययनरत है / नहीं
1	NAITIK	RAKESH KUMAR	297	PP.5+	Hindi		
2	ANJU	JAI PRAKASH	298	PP.5+	Hindi		
3	RAGHAV	SURESH KUMAR	299	PP.5+	Hindi		
4	DEEPIKA	BANWARILAL	300	PP.5+	Hindi		
5	RITU	PAWAN NAYAK	301	PP.5+	Hindi		
6	SARTAJ	RAVI NAYAK	302	PP.5+	Hindi		
7	GOVIND	RANJIT RAM	303	PP.5+	Hindi		
8	ANMOL	RONKI RAM	307	PP.5+	Hindi		
9	MANDEEP KUMAR	NIRMAL KUMAR	308	PP.5+	Hindi		
10	KANCHAN	MADAN LAL	309	PP.5+	Hindi		
11	KABIR	MAHENDER	310	PP.5+	Hindi		
12	PRIYA	RAJVEER	313	PP.5+	Hindi		
13	BHUPENDER	PALA RAM	314	PP.5+	Hindi		
14	JASANDEEP	HARDEEP SINGH	316	PP.5+	Hindi	9521870400	
15	VANDNA	PAWAN KUMAR	278	First	Hindi	9829487059	
16	ROHIT KUMAR	RAJENDER KUMAR	283	First	Hindi	9799232369	
17	LAXMI	JAGDISH	286	First	Hindi	8385924516	
18	MANU	RAJA RAM	287	First	Hindi	8875448134	
19	PANKAJ	SUNIL	290	First	Hindi	9783219505	
20	RAMESH KUMAR	DALEEP KUMAR	305	First	Hindi		
21	ARCHANA	DARSHAN KUMAR	260	Second	Hindi	9636616988	
22	AMANDEEP	BADRI RAM	262	Second	Hindi	9672869299	
23	KAPIL	MADAN LAL	267	Second	Hindi	8754326894	
24	HARSH	JASPAL	273	Second	Hindi	9672869287	
25	SHASHIKANT	VIJAYPAL	275	Second	Hindi	9783188034	
26	POOJA	VINOD	288	Second	Hindi	9660264371	
27	NIRMALA	RAJENDER KUMAR	228	Third	Hindi	9799232369	

28	SANJAY KUMAR	BHUPENDER KUMAR	229	Third	Hindi	9982352088	
29	RAJESH	VINOD KUMAR	238	Third	Hindi	9694070371	
30	RUCHIKA	RAKESH KUMAR	252	Third	Hindi	9828178971	
31	HARMAN KAUR	GURDEEP SINGH	285	Third	Hindi	9983764371	
32	DEVINDER	PALA RAM	311	Third	Hindi		
33	PRABHJOT KAUR	BALJINDER SINGH	312	Third	Hindi		
34	SNEHA	MAHENDER KUMAR	239	Fourth	Hindi	9549561742	
35	PRASOON	SANT RAM	259	Fourth	Hindi	9672515256	
36	PALAK	RAJENDER KUMAR	306	Fourth	Hindi		
37	ASHOK	SUBHASH CHANDER	148	Fifth	Hindi	9782930478	
38	JAYPAL	DEENDYAL	149	Fifth	Hindi	7619778726	
39	KAMAL DAS	BHEEM RAJ	150	Fifth	Hindi	9680910488	
40	RAVI	BHALA RAM	191	Fifth	Hindi	8740011998	

9. शेष 75 प्रतिशत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण :-

नोट:- शुल् क का सत यापन विद्यालय की रसीद बुक, कैश बुक, वाउचर पंजिका एवं फीस संधारण रजिस्टर के आधार पर करें ।(विद्यालय द्वारा सत यापन के समय रसीद बुक, कैश बुक ,वाउचर पंजिका एवं फीस संधारण रजिस्टर का अवलोकन नहीं करवाया जाता है तो सत्र 2017-18 की वार्षिक फीस के कॉलम में राशि अंकित नहीं की जायेगी, परन् तु कॉलम मे उक् त तथ् य का अंकन किया जाएगा ।) फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है । विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए वि वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं होने के कारण प्रथम एवं द्वितीय किश्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालको को अपने स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।

क्र. सं.	संचालित कक्षा	विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस							
		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	Class Name	हिन्दी	अँग्रेजी	हिन्दी	अँग्रेजी	हिन्दी	अँग्रेजी	हिन्दी	अँग्रेजी
1	PP.3+	0	0	0	0	0	0		
2	PP.4+	0	0	0	0	0	0		
3	PP.5+	3600	0	3600	0	3600	0		
4	First	4200	0	4200	0	4200	0		
5	Second	4200	0	4200	0	4200	0		
6	Third	4200	0	4200	0	4200	0		
7	Fourth	4200	0	4200	0	4200	0		
8	Fifth	4200	0	4200	0	4200	0		
9	Sixth	4200	0	4200	0	4200	0		
10	Seventh	4200	0	4200	0	4200	0		
11	Eight	4200	0	4200	0	4200	0		
12	Ninth	0	0	0	0	0	0		
13	Tenth	0	0	0	0	0	0		
14	Eleventh Sci	0	0	0	0	0	0		
15	Twelth Sci	0	0	0	0	0	0		
16	Eleventh Com	0	0	0	0	0	0		
17	Twelth Com	0	0	0	0	0	0		
18	Eleventh Arts	0	0	0	0	0	0		
19	Twelth Arts	0	0	0	0	0	0		

10. विद्यालय में नि:शुल् क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है ?
(यदि हाँ तो भेदभाव का उल् लेख करें।)

हाँ / नहीं ....

....

11. नि:शुल् क शिक्षा प्राप् त कर रहे बालकों को विद्यालय में नि:शुल् क पाठ्यपुस् तकें तथा सहायक सामग्री दी गई है ?

हाँ / नहीं

12. विद्यालय को गत वर्षो में प्राप् त पुनर्भरण की राशि का इन् द्राज कैश बुक में किया जाता है ?

हाँ / नहीं

13. गत सत्रों में प्रवेशित एवं क्रमोन् नत बालकों के संबधं में प्रवेश आवेदन पत्र, वांछित दस् तावेज, निरीक्षण प्रतिवेदन, क् लेम बिल की प्रति एवं कैश बुक विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखे हुए हैं ?

हाँ / नहीं (नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 19 में पूर्ण उल्लेख करें)

14. छात्र उपस्थिति पंजीका एवं छात्र मूल्यांकन संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने पर निःशुल्क एवं सःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की उपस्थिति नियमित पायी गई ।

हाँ / नहीं (नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 19 में पूर्ण उल्लेख करें)

15. क्या विद्यालय को सरकार से रियायती दर पर भूमि का आवंटन हुआ है

हाँ / नहीं

16. यदि "हाँ " तो आवंटन की शर्तों में कमज़ोर वर्ग के कितने प्रतिशत बालक बालिकाओं की नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है |

.....................%

17. सत्यापन प्रतिवेदन में नि:शुल्क सीट्स पर अध्ययनरत केवल उन्ही बालक-बालिकाओं को सत्यापित एवं फीस के पुनर्भरण योग्य किया गया है, जिनके आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध है। इन सभी फोटोकॉपी पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

18. विद्यालय में नि:शुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर नामांकित बालक-बालिकाओं का मिलान कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से भी कर लिया गया है।

19. अन् य विवरण जो निरीक्षण दल उल् लेखित करना उचित समझे :-

....

....

20. निरीक्षण प्रतिवेदन की उपरोक्त समस्त सूचनाओ से विद्यालय सहमत हें तथा इस सत्यापन प्रतिवेदन की वेबपोर्टल पर प्रविष्टि निधारित तिथि से पूर्व कर दी जायेंगी । रिपोर्ट के मिलान के दौरान कार्यालय द्वारा रिपोर्ट को रिजेक्ट किये जाने पर 3 दिवस के अंदर रिपोर्ट को सही प्रविष्ट कर पुन: लॉक कर दिया जायेगा । यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालको कि फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेंगा तथा विद्यालय नि:शुल् क सीट्स पर प्रवेशित बालको को नि:शुल् क प्राम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा ।

21. प्रमाणित किया जाता है कि हमने (नाम) 1. .... 2.. दिनाँक................................. को (विद्यालय का नाम) .... में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान् तर्गत नि:शुल् क शिक्षा प्राप् त कर रहे बालकों का विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत् यापन कर उनके प्रवेश संबंधी आवश् यक दस् तावेजों एवं शुल् क संबंधी दस् तावेजों का अवलोकन कर लिया हैं । नि:शुल् क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की पात्रता की जाँच कर ली है ।

हस्ताक्षर सदस्य
भौतिक सत्यापन दल

हस्ताक्षर अध्यक्ष
भौतिक सत्यापन दल

प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त की ।
दिनाँक :-

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
विद्यालय की मोहर सहित